उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

टी–स्टेट बंजारावाला, निकट विद्युत सब–स्टेशन

पो0ऑ0 बंजारावाला, देहरादून –248001

टेलीफैक्स : (0135) 2532619

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों आदि में तरल नत्रजन, सीमेन एवं अन्य इनपुटस आदि के वितरण के लिये उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (यू0एल0डी0बी0) में अनुबन्ध पर वाहन लगाने सम्बन्धी के लिये निविदा

निविदा प्रपत्र कमांक	:	3537 / यू0एल0डी0बी0 / स्टोर / 3 / IV–2 / ट्रांसपोर्ट / 2011–12 दिनांक 14–11–2011
निविदा प्रपत्र का मूल्य	:	₹227.00 (वेट सहित)
डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगाने पर	:	₹100.00 अतिरिक्त
निविदा प्रपत्र विकय की प्रारम्भ तिथि	:	15.11.2011
निविदा प्रपत्र विकय की अन्तिम तिथि	:	03.12.2011
निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	:	05.12.2011 अपराह्न 2.00 बजे
निविदा प्रपत्र खुलने की तिथि एवं समय	:	05.12.2011 अपराह्न 2.30 बजे
निविदा प्रपत्र जमा करने का स्थान		उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड टी–स्टेट बंजारावाला, निकट विद्युत सब–स्टेशन पो0ऑ0 बंजारावाला, देहरादून –248001
निविदा खुलने का स्थान	:	उपरोक्तानुसार।

निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.uldb.org में उपलब्ध है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र के कय मूल्य ₹227.00 का **यू0एल0डी0बी0** के नाम **देहरादून** में देय बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना आवश्यक होगा।

निविदा प्रपत्र का विकय विवरण–

मै0...............................

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

टी–स्टेट बंजारावाला, निकट विद्युत सब–स्टेशन
पो0ऑ0 बंजारावाला, देहरादून –248001
टेलीफैक्स : (0135) 2532619

महोदय,

1. आप निम्न विवरण के अनुसार उत्तरॉखण्ड के समस्त जनपदों में स्थित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों आदि में तरल नत्रजन, सीमेन एवं अन्य इनपुटस आदि के वितरण के लिये 04 वाहनों (कैन्टर/आईशर अथवा समकक्ष वाहन) जिसका बाडी साईज न्यूनतम 12.5'x7' हो की व्यवस्था के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किये जाते है।
   अ. रूट न0–एक – चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी जनपदों के समस्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र।
   ब. रूट न0–दो – पिथौरागढ, चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोडा जनपदों के समस्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र।
   स. रूट न0–तीन– नैनीताल, उधमसिंह नगर के जनपदों के समस्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र।
   द. रूट न0–चार– हरिद्वार, देहरादून, पौडी व टिहरी के समस्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र।
2. प्रत्येक वाहन/रूट के लिए अलग–अलग निविदा फार्म भरा जाए ।
3. प्रत्येक वाहन/रूट के लिये प्रस्तुत अलग अलग निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि ₹5000.00 (₹ पॉच हजार मात्र) का किसी भी राष्ट्रीय कृत/सहकारी बैंक का **यू0एल0डी0बी0** के नाम **देहरादून** में देय/बंधक डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एफ.डी.आर. की वैधता निविदाओं की वैधता अवधि से 30 दिन अधिक होनी आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के निविदा फार्म पर विचार नही किया जाएगा।
4. सभी निविदाओं की वैद्यता अवधि 45 दिनों की होनी आवश्यक है।
5. निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹227.00 वेट सहित होगा (जो किसी भी दशा में वापस नही होगा)।
6. निविदादाता द्वारा कोट की गयी दरें सम्पूर्ण अनुबन्ध अवधि के लिए वैध होगी तथा अनुबन्ध अवधि के दौरान दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन, परिमार्जन अथवा संशोधन मान्य नहीं होगा।
7. निविदा में अंकित दर, केवल भारतीय रूपये में होनी चाहिए।
8. अन्य नियम एवं शर्ते, संलग्नक – 1 पर दी गई है।
9. **निविदाओं का मूल्यांकन :** सभी प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन/तुलना के लिए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा :
   9.1 निविदा पर उचित ढंग से हस्ताक्षर किया गया है अथवा नही।
   9.2 निविदा सभी शर्तो, नियमो तथा निर्धारित मानको/विशेषताओं की पुष्टि करती है या नही।
   9.3 निविदा के साथ धरोहर राशि संलग्न है या नही।

   न्यूनतम दरों के आधार पर निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता को यू0एल0डी0बी0 के साथ ₹100.00 के नांन जूडिशियल 'स्टाम्प पेपर' पर द्विपक्षीय अनुबन्ध करना होगा। इससे सम्बन्धित आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध न करने पर स्वीकृत निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी और इस स्थिति में सम्बन्धित निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि यू0एल0डी0बी0 द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
10. **आपूर्ति आदेश :** यू0एल0डी0बी0 निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व उसी निविदादाता को आपूर्ति–आदेश प्रेषित करेगा, जिसकी निविदा समस्त शर्तो एवं नियमों को पूर्ण करती है एवं जिसके द्वारा न्यूनतम दर दी गयी हो।
11. बिलों का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त मासिक आधार पर किया जाएगा।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
यू0एल0डी0बी0

अनुलग्नक : 1. निविदा की शर्तें एवं नियम
2. निविदा फार्म

निविदा की शर्तें

1. प्रत्येक वाहन/रूट के लिए अलग–अलग निविदा फार्म भरे जाएगे।
2. निविदा फार्म स्वच्छ लिखा होना चाहिए, यदि कटिंग हो तो उस स्थान पर हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
3. निविदा फार्म के साथ सम्बन्धित वाहन की धरोहर राशि ₹5000.00 (₹ पांच हजार मात्र) प्रति वाहन/रूट का किसी भी राष्ट्रीय कृत/सहकारी बैंक का **यू0एल0डी0बी0** के नाम **देहरादून** में देय/बंधक डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/एफ.डी.आर. बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से यू0एल0डी0बी0, देहरादून के पक्ष में देय होगी को संलग्न करना अनिवार्य होगा। एफ.डी.आर. की वैधता निविदाओं की वैधता अवधि से 30 दिन अधिक होनी आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा निरस्त मानी जाएगी।
4. निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर **"रूट नं0, ... में तरल नत्रजन, अतिहिमीकृत वीर्य एवं अन्य इनपुट्स की आपूर्ति हेतु निविदा"** लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक रूट के लिये अलग–अलग निविदा फार्म जमा करना आवश्यक होगा।
5. किसी भी दशा में निविदा प्रपत्र का मूल्य वापस नही किया जायेगा। यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदाएं नही खोली गयी तो निविदा बाक्स में पड़ी हुई निविदाओं को मोहरबंद बाक्स (Sealed box) में सुरक्षित रख दिया जायेगा तथा नयी निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा बाक्स को निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि तथा कय समिति के समक्ष खोला जायेगा।
6. तरल नत्रजन, अतिहिमीकृत वीर्य एवं अन्य इनपुट्स आपूर्ति/परिवहन वाहन प्रतिदिन लगभग 75 किलोमीटर दूरी तय करेगा।
7. वाहन द्वारा भेजी जाने वाली समस्त सामग्री को गन्तव्य तक पहुंचाने एवं शेष सामग्री/वारदाना/कन्टेनर आदि को सुरक्षित रखने/परिवहन कराने/वापसी की जिम्मेदारी वाहन स्वामी/निविदादाता की होगी।
8. वाहन जिसके लिए निविदा फार्म भरा जा रहा है, निविदादाता के नाम से होना अनिवार्य है अथवा निविदादाता के पास उक्त वाहन को संचालित करने की मुख्तारनामा (Power of Attorney) हो, तभी निविदा मान्य होगी।
9. वाहन के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रपत्र तथा मुख्तारनामा (Power of Attorney) सम्बन्धी प्रपत्र निविदा फार्म के साथ संलग्न करने आवष्यक हैं।
10. निविदा में चयनित वाहनों के वाहन स्वामी का दायित्व होगा कि बोर्ड की आवश्यकताओं एवं निर्देशों के अनुसार वाहन की बॉडी एवं चैसिस में परिवर्तन सुनिश्चित करायेंगे।
11. कोई भी वाहन, जिसका मॉडल 2006 से पहले का हो मान्य नहीं होगा। निविदा के साथ वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
12. निविदा में चयनित वाहनों में बोर्ड की सामग्री के अतिरिक्त किसी भी अन्य सामग्री का ढुलान वर्जित होगा।
13. बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही तरल नत्रजन, अतिहिमीकृत वीर्य एवं अन्य इनपुट्स का वितरण सुनिश्चित करना होगा।
14. किसी निश्चित रूट पर चलते हुए उस रूट हेतु निर्दिष्ट सभी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर प्रतिमाह जाना अनिवार्य होगा। यदि मार्ग पर निर्धारित किसी भी केन्द्र पर तरल नत्रजन, अतिहिमीकृत वीर्य एवं अन्य इनपुट्स की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो उसके लिए वाहन स्वामी जिम्मेदार होगा और इस स्थिति में प्रति केन्द्र ₹500 की दर से वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत परिवहन बिल से जुर्माने के रूप में कटौती कर ली जाएगी।
15. वाहनों के प्रयोग हेतु डीजल, मोबिल आयल, वाहन का समुचित रखरखाव एवं क्लीनर, ड्राइवर इत्यादि की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा।
16. सफल निविदादाता को यू0एल0डी0बी0 के साथ एक द्विपक्षीय अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। यह अनुबन्ध, ₹100.00 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा। यह स्टाम्प पेपर वाहन स्वामी द्वारा ही कय किया जाएगा। इससे सम्बन्धित आदेश में दी गयी अवधि के अन्दर अनुबन्ध न करने पर स्वीकृत निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी और इस स्थिति में सम्बन्धित निविदादाता द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी की धनराषि इस संस्था द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

17. सफल निविदादाता को कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security), जो कि ₹ 25000.00 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) प्रति वाहन होगी, को अनुबन्ध पत्र के साथ जमा करना होगा। कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे–आर्डर/एफ.डी.आर. के रूप में ही स्वीकार्य होगी, जो यू0एल0डी0बी0 के नाम देहरादून में देय/धरोहर (Pledge) रहेगी।
18. कार्यपूर्ति प्रतिभूति निविदा से संबंधित सभी दायित्वों की पूर्ति, जिनमें वारन्टी सम्बन्धी दायित्व भी सम्मिलित हैं, की अवधि पूरी होने से कम से कम 60 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है।
19. परिवहन बिलों का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त मासिक आधार पर किया जाएगा।
20. वाहन का अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जाएगा तथा बोर्ड द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अनुबन्ध की अवधि को पूर्व स्वीकृत दरों पर बढ़ाया जा सकता है।
21. यदि किसी भी दिवस में अनुबन्धित वाहन खराब होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो वाहन स्वामी उसके स्थान पर किसी अन्य वाहन की व्यवस्था करके निश्चित समय एवं स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।
22. यदि किन्ही कारणों से वाहन स्वामी का वाहन अपने सुनिश्चित कार्य पर जाने में असमर्थ होता है, तो वाहन स्वामी द्वारा इसकी सूचना यू0एल0डी0बी0 को निर्धारित समय से 24 घण्टे पूर्व देना आवश्यक होगा और वाहन स्वामी द्वारा उसके स्थान पर किसी अन्य वाहन की व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी।
23. यदि वाहन स्वामी के द्वारा उपरोक्त बिन्दु संख्या–20 एवं 21 के अनुसार वाहन की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो यू0एल0डी0बी0 द्वारा कार्यहित में यू0एल0डी0बी0 द्वारा वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी एवं ऐसी स्थिति में यू0एल0डी0बी0 को निर्धारित दरों से अधिक व्यय करना पड़ता है, तो अधिकता से व्यय की गयी धनराशि को सम्बन्धित ट्रान्सपार्टर के परिवहन बिलों से समायोजित कर लिया जायेगा।
24. यदि वाहन तरल नत्रजन, अतिहिमीकृत वीर्य एवं अन्य इनपुट्स की आपूर्ति करते समय रास्ते में कहीं खराब हो जाता है, तो उस दिन का कोई किराया वाहन स्वामी को देय नहीं होगा, वरन् उस दिन सिर्फ चले हुए किलोमीटर के हिसाब से डीजल व्यय देय होगा।
25. अनुबन्धित वाहन को वर्ष भर समस्त प्रकार के पर्वतीय मार्गों पर चलना होगा।
26. यदि वाहन स्वामी अनुबन्ध नियमों के अनुसार वाहन का परिचालन सुनिश्चित करने में असमर्थ पाया जाता है, तो उस वाहन का अनुबन्ध निरस्त करते हुए उक्त वाहन की कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि यू0एल0उी0बी0 द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
27. वाहन स्वामी/वाहन चालक/परिचालक का कार्य एवं व्यवहार सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ सौहाद्रपूर्ण तथा विनम्र होना चाहिए।
28. वाहन स्वामी/वाहन चालक/परिचालक द्वारा संस्था विरोधी एवं संस्था के अहित में कार्य अथवा व्यवहार करने की दशा में अनुबन्ध निरस्त करते हुए उक्त वाहन की कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि यू0एल0डी0बी0 द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
29. वाहन स्वामी यदि अनुबन्ध की अवधि में अथवा अनुबन्ध समय समाप्त होने पर वाहन का परिचालन नहीं करना चाहता, तो उसे इसकी सूचना यू0एल0डी0बी0 कार्यालय में कम से कम 1 माह पूर्व देनी होगी।
30. वाहन चालक यात्रा की लाग बुक वाहन के साथ रखेंगे, जिसमें प्रतिदिन गाड़ी चलने का समय (आने तथा जाने का) किलोमीटर रीडिंग, कुल चली गयी दूरी, भ्रमण किये गये स्थान आदि को अंकित करेंगे, जो यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी। परिवहन बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करते समय लाग बुक भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
31. वाहन का परमिट सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य (पर्वतीय मार्गों सहित) एवं उत्तर प्रदेश के वे स्थान जहां पर वाहन उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में चलते हुए उत्तराखण्ड की सीमा में प्रवेश/निकास करते हैं, का होना आवश्यक होगा।
32. यदि किसी दिन यू0एल0डी0बी0 के कारण वाहन खडा रहता है, तो उस दिन भाडे की केवल 50 प्रतिशत धनराशि ही वाहन स्वामी को देय होगी, परन्तु यू0एल0डी0बी0 द्वारा माह में कम से कम 20 दिनों का कार्य वाहन को दिया जायेगा। मरम्मत अथवा अन्य कारणों से वाहन के खडे रहने पर यू0एल0डी0बी0 द्वारा कोई भी किराया देय नही होगा।

33. सफल निविदादाता वाहन स्वामी को वाहन चालक के अतिरिक्त वाहन में एक परिचालक, जिसे लिखने–पढ़ने का ज्ञान हो, रखना अनिवार्य होगा। परिचालक तरल नत्रजन पात्रों एवं अन्य इनपुट्स को वाहन में चढ़ाने/उतारने एवं तरल नत्रजन आपूर्ति वितरण में सहायता करेगा। इस कार्य के लिए वाहन स्वामी को ₹30 (तीस रूपये मात्र) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान देय होगा।
34. यू0एल0डी0बी0 द्वारा वाहन स्वामी को स्थानीय चूंगी/टोल टैक्स यदि कोई देय हो, तो उसकी मूल रसीद बिल के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
35. वाहन के इन्श्योरेन्स के साथ–साथ चालक, परिचालक तथा यू0एल0डी0बी0 के एक इनपुट वितरणकर्ता का ₹2.00 लाख का बीमा कराना अनिवार्य होगा।
36. निविदादाता वाहन स्वामी को वाहन में चालक, परिचालक के अलावा यू0एल0डी0बी0 के एक इनपुट वितरणकर्ता के बैठने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
37. यदि किसी दशा में वाहन चालक द्वारा व्यापार कर चौकी पर बहती जारी कराई जानी है तो उसे निरस्त करने की पूरी जिम्मेदारी भी वाहन चालक की होगी ऐसा न करने पर व्यापार कर सम्बन्धी किसी भी नोटिस/अर्थदण्ड अथवा विवाद/वाद आदि के लिए वाहन स्वामी स्वंय जिम्मेदार होगा।
38. वाहन स्वामी को बोर्ड से अनुबन्ध करने के पश्चात अपने वाहन के दोनो साईडों एवं सामने और पीछे यू0एल0डी0बी0 का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम पेन्ट द्वारा अंकित कराना अनिवार्य होगा, जो कम से कम 15 मीटर की दूरी से पढ़ा जा सके।
39. आवश्यकता पड़ने पर वाहन को एक मण्डल/रूट से दूसरे मण्डल/रूट में भी कार्यहित में भेजा जा सकता है।
40. तरल नत्रजन, अतिहिमीकृत वीर्य एवं अन्य इनपुट्स वितरण के समय वाहन चालक आवश्यक रूप से व्यापार कर चौकी पर समस्त प्रपत्र उचित रूप से चेक/पास करायेगा। ऐसा न करने पर किसी भी वाद के लिए वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होगा।
41. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड का निर्णय सर्व मान्य होगा।
42. अनुबन्ध की व्याख्या भारतीय कानूनों के अधीन की जायेगी एवं वाद निस्तारण का कार्यक्षेत्र देहरादून न्यायालय होगा।
43. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून के पास बिना कोई कारण बताये, निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा निविदा प्रकिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
यू0एल0डी0बी0

संलग्नक –2

निविदा फार्म

रूट न0– ....

(**रूट न0 – एक**– चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी / **रूट न0 – दो**– पिथौरागढ, चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोडा / **रूट न0 – तीन**– नैनीताल, उधमसिंह नगर / **रूट न0 – चार**– हरिद्वार, देहरादून, पौडी व टिहरी जनपदों के समस्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र)

(प्रत्येक रूट के लिए अलग–अलग निविदा फार्म भरे)

(आवश्यकता पड़ने पर वाहन को एक मण्डल / रूट से दूसरे मण्डल / रूट में भी भेजा जा सकता है)

1. निविदा दाता का नाम :
2. निविदा दाता के पिता का नाम :
3. निविदा दाता का स्थाई पता :
4. निविदा दाता का पत्र व्यवहार का पता :
5. दूरभाष सं0 :
6. वाहन का विवरण (सत्यापित अभिलेखों सहित) :

कमांक	मद	विवरण *
01	प्रकार / मेक	
02	मॉडल	
03	रजिस्ट्रेशन नं0	
04	रोड टैक्स	
05	परमिट की वैद्यता एवं समय सीमा	
06	बीमें की वैद्यता	
07	फिटनेस की वैद्यता	
08	क्षमता	
09	स्वयं का वाहन / मुख्तारनामा (Power of Attorney)	

*** सभी कॉलम भरने आवष्यक हैं।**

7. **भाड़े की दरें (समस्त खर्चे जैसे चालक व परिचालक के वेतन भत्ते इत्यादि मिलाकर) :**

(क) भाड़े की दरें प्रतिदिन (₹ में) :..

(ख) डीजल : .... किलोमीटर प्रति लीटर।

नोट : उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा कोई अन्य खर्चे जैसे मोबिल ऑयल, चालक, परिचालक का वेतन इत्यादि देय नहीं होगा, परन्तु स्थानीय चुंगी / टोल टैक्स यदि कोई देय हो तो उसकी रसीद प्रस्तुत करने पर यू0एल0डी0बी0 द्वारा भुगतान देय होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है एवं काई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। किसी भी गलत सूचना के पाये जाने के लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा। इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर मेरा निविदा फार्म निरस्त कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पैन नं0 ....

संलग्न– घोषणा

घोषणा

1. मैं ....यू0एल0डी0बी0, देहरादून द्वारा निर्धारित उपरोक्त समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों को स्वीकार करता हूँ। उपरोक्त किसी भी नियम के उल्लंघन होने पर यू0एल0डी0बी0 द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।
2. मैं .... पुत्र .... निवासी .... घोषणा करता हूँ, कि मैंने निविदा की सभी शर्तें पढ़ ली हैं, जो मुझे मंजूर हैं। मैं यू0एल0डी0बी0, देहरादून के अन्तर्गत वाहनों को चलाने के लिए एक वर्ष का अनुबन्ध करने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

दिनांक

विवरण

नाम ....

पिता का नाम ....

पता ....

स्थायी पता ....

गाड़ियों के नाम (सत्यापित अभिलेखों सहित):–

01 .... रजिस्ट्रेशन नं0 ....

02 .... रजिस्ट्रेशन नं0 ....

03 .... रजिस्ट्रेशन नं0 ....

04 .... रजिस्ट्रेशन नं0 ....

05 .... रजिस्ट्रेशन नं0 ....

संलग्नक– धरोहर राशि ₹ .... शब्दों में ....

का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/एफ.डी.आर. नं0 ....

हस्ताक्षर निविदादाता